बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग,
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ।

पत्रांक– टी 2/एम0ई0एस0–14/2013 (Part file)- 1723 पटना, दिनांक– 25.8.15

प्रेषक,
संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण,
बिहार, पटना ।

सेवा में,
निदेशक/प्राचार्य,
सभी संबंधित संस्थान/प्रतिष्ठान ।

विषय :– केन्द्र प्रायोजित एस0 डी0 आई0 योजनान्तर्गत एम0 ई0 एस0 के तहत भी0 टी0 पी0 स्थायी पंजीकरण करने के संबंध में ।

प्रसंगः– आई0टी0/विविध–01/2013–2182 दिनांक–06–08–2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि निम्नांकित संस्थानों/प्रतिष्ठानों को भी0टी0पी0 हेतु उपयुक्त पाया गया जो निम्नवत हैं :–

क0 सं0	संस्थान का नाम एवं पता	स्थाई भी0 टी0 पी0 नम्बर	अनुशंसित कोर्स कोड	ई–मेल/दूरभाष संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	फ्रेश फाउन्डेशन, रीता एडयुटेक कैम्पस, मुफ्ती मुहला, पो0–लालबाग, दरभंगा	410130015	ICT-701,702. GAR-516, SS-102	freshfoundationindia@gmail.com 9334125151	
2	फ्रेश फाउन्डेशन, जनता रोड, गोशाला रोड, खगड़िया।	410210004	ICT-701,702 GAR-516 SS-102	freshfoundationindia/@gmail.com 9334125151	
3	फ्रेश फाउन्डेशन, फुलवारी शरीफ, पटना।	410280130	ICT-701,702 GAR-516 SS-102	freshfoundationindia@gmail.com 9334125151	
4	फ्रेश फाउन्डेशन, न्यू करीम गंज, गया।	410350019	MED-101,102, 206, 242.	freshfoundation@gmail.com 9334125151	
5	तपेश्वर राय ग्रामोद्योग विकास संस्थान, ग्राम– परसा, पो0–अमरदह, जिला– सारण, (छपरा)– 8441421	410170020	ICT-701. GAR-516.	raitapeshwar@gmail.com 9939698320	
6	रविरेखा सेवा केन्द्र गोह, जिला–औरंगाबाद।	410340014	ICT-701. SS-102 BAN-101	rrskvtpgoh@gmail.com 9122804540	
7	मदर इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर, कुरकुरी, फुलवारीशरीफ, पटना– 801505	410280128	ELE-701. AUR-701. FAB-701.	motheriti@gmail.com 9334441365	
8	दीपायन भोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर, अशोक नगर, रोड नं011, पटना–800020,	410280129	SS-101. BEA-701.	deepayan.patna@gmail.com 9334868978	

उपर्युक्त वर्णित कुल–08 संस्थानों को स्कील डभलपमेन्ट इनिसिएटिव (एस0 डी0 आई0) योजनान्तर्गत मॉड्यूलर इम्लायबुल स्कील (एम0ई0एस0) के तहत भी0 टी0 पी0 घोषित करते हुए कॉलम–04 में वर्णित मॉड्यूल में संबंधित संस्थानों को प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

मॉड्यूलर इम्प्लायबुल स्कील के नये मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार Training Batch No (TBN) generate करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान देना अनिवार्य होगा :–

1. Bio-Metric System Install करने के उपरान्त मशीन का IMEI, Serial No साक्ष्य के साथ निदेशालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
2. एक मॉड्यूल में दो बैच तथा विभिन्न मॉड्यूल में कुल 06 बैच एक साथ प्रशिक्षण चलाने हेतु प्रत्येक संस्थान/प्रतिष्ठान को अनुमति दी जाती है।
3. किसी भी बैच में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कम से कम 10 का होना अनिवार्य है।
4. इस योजना के तहत सभी भी0टी0पी0 को राज्य के आरक्षण नियमावली का पालन नियमानुसार करना अनिवार्य होगा ।
5. 30% महिलाओं को इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देना अनिवार्य है ।
6. प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति 80 प्रतिशत एवं अनुदेशकों की उपस्थिति 90 प्रतिशत अनिवार्य है।
7. इस योजना के तहत सभी भी0 टी0 पी0 को एक दिन में कम से कम 3 घंटा तथा अधिकतम 6 घंटा एक मॉडूल में प्रशिक्षण देना है साथ ही राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश लागू करना अनिवार्य है ।
8. प्रत्येक बैच के उर्त्तीण प्रशिक्षणार्थियों का 80 प्रतिशत प्लेसमेन्ट से संबंधित डाटा पोर्टल पर अंकित करने के उपरान्त हीं प्रशिक्षण शुल्क का 20 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
9. इस योजना के तहत उर्त्तीण प्रशिक्षणार्थियों का बैचवार प्लेसमेन्ट, वेतन/ आय पोर्टल पर कम से कम 80 प्रतिशत अंकित करना अनिवार्य होगा। जिन संस्थाओं द्वारा संबंधित डाटा पोर्टल पर 6 (छः) महीनों में तीन से अधिक बैच का अंकित नहीं किए जाने पर अगला TBN का अनुशंसा नहीं किया जाएगा।
10. इस योजना के तहत स्थायी पंजीकृत भी0 टी0 पी0 यदि तीन माह के अन्दर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्य आरंभ नहीं करता है अथवा दो बैच की अवधि छः माह से ज्यादा होने की स्थिति में उनका पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा ।
11. वैसे modules जिनका प्रशिक्षण अवधि 300 घंटा या उससे अधिक है, उस मॉडूल में ट्रेनिंग देने के पूर्व Soft and Entrepreneurship skill module में ट्रेनिंग देना अनविार्य है साथ ही प्रशिक्षण से संबंधित साक्ष्य निदेशालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
12. इस योजना के तहत यदि एक भी0 टी0 पी0 एक प्रशिक्षणार्थी का नाम एक से ज्यादा बैच में एक ही समय अंकित करता है तो वैसी स्थिति में उक्त भी0 टी0 पी0 पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा ।
13. ट्रेनिंग कैलेण्डर बनाने एवं प्रशिक्षण प्रारंभ करने के बीच कम से कम एक सप्ताह का समय सुनिश्चित क[रें] ताकि ट्रेनिंग कैलेण्डर का अनुमोदन प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व किया जा सके।
14. प्रशिक्षण समाप्ति के सात दिनों के अन्दर Assessment कराना अनिवार्य होगा, यदि कोई भी0टी0पी0 संस्था पॉच बैंचो में से तीन बैचों में इसका पालन नहीं नहीं किया तो वैसे भी0टी0पी0 संस्था के संबंधित module की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी ।

15. प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन हेतु नामित Assessor का मूल्यांकन की तिथि की सूचना प्राप्त होने पर Vocational Training Provider (VTP) द्वारा निदेशालय के साथ–साथ जिला नियोजन पदाधिकारी को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। Assessment के समय जिला नियोजन पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

विश्वासभाजन,

25/8/2015

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–टी 2/एम0ई0एस0–14/2013 (Part file)- 1723 पटना, दिनांक– 25.8. 2015.

प्रतिलिपि– सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/8/2015

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण,
बिहार, पटना